

मध्य प्रदेश में प्रधान डाकघर का आधुनिकीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में प्रधान डाकघर की आधारशिला रखी।

मुख्य बंदि

- प्रधान डाकघर:
 - प्रधान डाकघर का नरिमाण 2.1 करोड़ रुपए की लागत से कथि जाएगा। इसका नरिमाण एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - इस सुवधि में ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लयि आधुनकि सुवधिओं के साथ अत्याधुनकि [प्रौद्योगकि-सकषम बुनयिदी ढाँचा](#) उपलब्ध होगा।
 - प्रधान डाकघर अशोकनगर ज़िले के 10 उप-डाकघरों के लयि प्रशासनकि केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
 - इसका उद्देश्य सेवा वतिरण में सुधार करना और स्थानीय आबादी को अधिकि सुवधि प्रदान करना है।
- भारतीय डाक की वरिसत:
 - 150 वर्षों से अधिकि की सेवा के साथ, भारतीय डाक वशिव स्तर पर सबसे बड़े डाक नेटवर्कों में से एक बना हुआ है।
 - भारतीय डाकघर अधनियिम, 1898 को नरिसूत करते हुए [डाकघर अधनियिम 2023](#) लागू हुआ।
 - वभिाग आधुनकिकरण और ज़मीनी स्तर पर पहुँच पर वशिष धयान देते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों कषेत्रों में अंतराल को पाटने और उत्कृषटता प्रदान करने का कार्य जारी रखे हुए है।

भारतीय डाकघर अधनियिम, 1898

- यह अधनियिम 1 जुलाई, 1898 को भारत में डाकघरों से संबंघति कानून को समेकति और संशोधति करने के उद्देश्य से लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं के वनियिमन का प्रावधान करता है। यह वधियक केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर वशिष वशिषाधिकार प्रदान करता है तथा पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापति करता है।